

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 9(16)गृह-5/2020

जयपुर, दिनांक : 07-07-2020

महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय:- राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 11 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 के संबंध में।


सन्दर्भ:- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 19.05.2020 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 की धारा 11 के अन्तर्गत अपराध शमन किये जाने की पश्चात् प्राप्त अर्थदण्ड की राशि को बजट शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 01-अर्थदण्ड और समपहरण (03)-कार्यपालिका दण्डाधिकारी न्यायालय में जमा करवाने हेतु लिखा गया था किन्तु उक्त बजट मद का पूर्ण विवरण अंकित नहीं होने से उक्त बजट मद को निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

0070-01-102-03-00-00


भवदीय,


(रवि शर्मा)

वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।


वरिष्ठ शासन उप सचिव